सरकारी भूमि पर नमाज अदा नहीं

नई दिल्ली, 2 मई. देश की न्यायपालिका में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस शुरू हो गई है. मामला तब चर्चा में आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सार्वजनिक जगह या सरकारी भूमि पर नमाज़ अदा करने के अधिकार को लेकर टिप्पणी की.

▸ **इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश**

इस आदेश के बाद मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अलग केस की पृष्ठभूमि में इस मुद्दे पर भी

अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी सामने आई. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के रुख पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया. हालांकि, दोनों अदालतों के मामले अलग-अलग कानूनी संदर्भों से जुड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर देश में लंबे समय से चल रही बहस को इसने फिर से हवा दे दी है. इस मुद्दे का मूल आधार संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन है. एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी राज्य की है. स्थानीय स्तर पर भी इस फैसले के बाद मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे आवश्यक कानूनी स्पष्टता मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाला कदम बता रहे हैं.

> सुप्रीम कोर्ट में हुई टिप्पणी के बाद यह मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है. अब कानूनी जगत में इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या इस विषय पर देशभर के लिए एक समान दिशा-निर्देश की जरूरत है या फिर हर मामले का निर्णय परिस्थितियों के आधार पर ही होना चाहिए.

विदेश मंत्री जयशंकर गए नौ दिन की यात्रा पर

नई दिल्ली 02 मई. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शनिवार से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की नौ दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे. इन देशों का भारत के साथ विशेष संबंध है, जिसका कारण वहाँ मौजूद गिरमिटिया समुदाय हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री तीनों देशों के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ-साथ परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री की यह यात्रा जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के साथ भारत की राजनीतिक सहभागिता को आगे बढ़ाने और हमारे दीर्घकालिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.

खुदी हुई सड़कों को तुरंत भरा जाए

लखनऊ, 2 मई. उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मिशन के अंतर्गत होने वाली खुदाई और पाइपलाइन बिछाने के कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य पूर्ण होते ही सड़कों की मरम्मत तुरंत की जाए.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India — भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय- भोपाल सेन्ट्रल

कब्जा सूचना नियम 8 (1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूहित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी किया जिसमें निम्नवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋणी द्वारा राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम के नियम 8 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नवर्णित संपत्तियों का कब्जा निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है।
ऋणी एवं जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संबंधित शाखा** के निर्मित प्रभार के अधीन होगा।
ऋणकर्ता/सहऋणी/जमानतदार / संपत्ति स्वामी का ध्यान आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋणी का नाम	ऋणी की संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मक्सी शाखा, मक्सी	
ऋणी- **श्री नीरज मीना पुत्र दिनेश मीना**	**संपत्ति का समस्त भू भाग रिहायशी मकान क्षेत्रफल- 840 वर्गफिट स्थित सर्वे नं. 898/8, वार्ड नं. 04, सुभाष चंद्र वार्ड, पोस्ट उकला रोड, जगन्नाथ पुरी मेन रोड, मक्सी तहसील और जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश 465106 के अंतर्गत, संपत्ति मालिकः** श्री नीरज मीना पुत्र दिनेश मीना, चर्तुसीमाएँः उत्तर में - बने सिंह का मकान, दक्षिण में - सोहन लाल का मकान, पूर्व में - 20 फुट चौड़ी सार्वजनिक सड़क, पश्चिम में - श्री सावे सिंह की भूमि।	02.02.2026 / 28-04-2026 / ₹ 14,03,202.68 +ब्याज एवं अन्य खर्च

दिनांकः 28.04.2026, स्थान : भोपाल — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल

ट्रंप का नाटो सहयोगियों को झटका

▸ **जर्मनी से सैनिकों की कटौती, रूस को लाभ**

वाशिंगटन, 2 मई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में तैनात 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है. पेंटागन ने इसे यूरोप में सैन्य स्थिति की व्यापक समीक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर संतुलित निर्णय बताया.

यह कदम विशेष रूप से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ अमेरिका-इज़राइल युद्ध और तेल संकट को लेकर उत्पन्न मतभेदों के बाद आया है. चांसलर मर्ज़ ने हाल ही में इस युद्ध और अमेरिका की विदेश नीति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें

उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व इस मामले में असंगत और अप्रभावी रहा है. जर्मनी में वर्तमान में 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से लगभग 5,000 सैनिक यानी 14 प्रतिशत को अगले छह से 12 महीनों के भीतर वापस बुलाया जाएगा. इनमें यूरोपीय और अफ्रीकी कमांड के मुख्यालय, रामस्टीन एयर बेस और लैंडस्टुह्ल मेडिकल सेंटर शामिल

फैसले की कड़ी आलोचना

अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. वरिष्ठ सीनेट सदस्य जैक रीड ने कहा कि यह कदम अमेरिकी सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रपति की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के अधीन करता है और इससे नाटो गठबंधन कमजोर हो सकता है. उनका मानना है कि यह सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए लाभकारी होगा और अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए जोखिम पैदा करेगा. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी जर्मनी से सैनिकों की वापसी की धमकी दी थी, लेकिन तब यह प्रक्रिया धरातल पर नहीं उतर सकी थी.

दरिंदगी पर फांसी की उठी मांग

पुणे, 2 मई. पुणे में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुयी अपराध की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है.

▸ **किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी : फडणवीस**

स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर केस को मजबूत किया जा रहा है. इस बीच, राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने

स्पष्ट कहा है कि ऐसे अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें कानून के तहत सबसे कठोर सजा दिलाई जाएगी. उनके इस बयान के बाद लोगों में यह उम्मीद जगी है कि मामले में तेजी से न्याय मिलेगा. सरकारी अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिल सके. साथ ही पीड़िता के इलाज और मानसिक सहायता के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है.

कार्यालय अधीक्षक सब जेल बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

email Id - jssjbadnawar@mp.gov.in

क्रमांक / 04 / निर्वाह / 2026 — बदनावर, दिनांक 27/04/2026

:: वार्षिक ई - निविदा (चतुर्थ) आमंत्रण सूचना :: -

(वार्षिक ठेका) वित्तीय वर्ष 2026-27

म.प्र. जेल पर्ति नियम 1968 एवं म.प्र. भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा- संशोधित - 2022) के अधीन सब जेल बदनावर में परिरूद्ध बंदियों की आवश्यकतानुसार सामग्रियों की पूर्ति के लिए वर्ष 2026-27 में खण्ड- (2) सब्जी सामग्री एवं खण्ड - (4) दवाईयां की आपूर्ति हेतु चतुर्थ ई - निविदा विज्ञाप्ति निम्नानुसार जारी की जाती है।

निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है

क्रं.	विवरण	दिनांक / समय	स्थान
01	प्री – बीड मीटिंग	11.05.2026 प्रातः 11:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल बदनावर ,जिला धार
02	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि ।	दिनांक 22.05.2026 प्रातः 17::30 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
03	ई –निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी।	22.05.2026 शाम 17:30 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी।
04	नमूना जमा करने की अंतिम तिथी	22.05.2026 दोपहर 17::30 बजे तक	कार्यालय अधीक्षक सब जेल बदनावर ,जिला धार
05	नमूनों गुणवता परीक्षण की तिथि	23.05.2026 दोपहर 13:00 बजे तक	कार्यालय अधीक्षक सब जेल बदनावर ,जिला धार
06	तकनीकि निविदा (आवश्यक दस्तावेज) खोलने की तिथी	दिनांक 25.05.2026 दोपहर 11:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल बदनावर ,जिला धार
07	वित्तीय निविदा खोलने की तिथी	दिनांक 26.05.2026 दोपहंर 11:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल बदनावर ,जिला धार

नोटः- ई-निविदा फार्म उपर दर्षित वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है। निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी उपर दशाई गई वेबसाईट पर देखे । निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित जेल के जेल अधीक्षक द्वारा की जायेगी।

(मनोज कुमार मिश्रा)
सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल बदनावर (म. प्र.)

G12345/26

बंगाल री-पोलिंग में रिकॉर्ड 86 .90% वोटिंग

दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर बंपर मतदान

गड़बड़ी पाए जाने पर 58(2) के तहत दोबारा मतदान

कोलकाता, 2 मई. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुए री-पोलिंग ने एक बार फिर राज्य की चुनावी राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के दौरान रिकॉर्ड 86.90 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो इस बात का संकेत है कि मतदाताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर मजबूत भागीदारी बनी हुई है।

इन मतदान केंद्रों में 11 बूथ मगराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर में शामिल थे। चुनाव आयोग के अनुसार, शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मगराहाट पश्चिम में 86.11 प्रतिशत और डायमंड हार्बर में 87.60 प्रतिशत मतदान हुआ। 14 पोलिंग स्टेशनों के आंकड़े पूरी तरह उपलब्ध हो चुके हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि मतदान प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी रही ।यह पुनर्मतदान भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के तहत कराया गया, जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी, बूथ कैप्चरिंग या किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता पाए जाने पर मतदान रद्द करने का प्रावधान है। बीजेपी ने इन बूथों पर ईवीएम में छेड़छाड़ और बटन ढकने जैसे आरोप लगाए थे.

जिनके बाद आयोग ने कार्रवाई करते हुए री-पोलिंग का निर्णय लिया ।हालांकि, मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला। फलता विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस पर धमकी देने के आरोप लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें वोटिंग से रोका गया और डराया-धमकाया गया। एक स्थानीय महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने और घर जलाने की धमकी दी गई। इन घटनाओं को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई ।दूसरी ओर, कई मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया, हालांकि कुछ लोगों ने स्थानीय बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी और विकास कार्यों को लेकर असंतोष भी जताया ।चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जहां भी गड़बड़ी साबित होगी, वहां सख्त कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। वहीं, राज्य में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल मतदान 92.93 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : 914445644000, फैक्स : 914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	75794474	गृह ऋण	17.04.2026	3,34,985.58 /-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम : 1. लोकेन्द्र सिंह पड़िहार 2. विजय सिंह पड़िहार 3. रतन सिंह 4. शकुंतला कुंवर

संपत्ति का पता : भूखंड/मकान संख्या 286/1 का संपूर्ण भाग। ग्राम सुंदरबाद पंचायत संपत्ति कर रजिस्टर संख्या 408, कुल क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट (पूर्व-पश्चिम : 35 फुट, उत्तर-दक्षिण : 20 फुट)। सर्वे संख्या 557 पर स्थित, ग्राम : सुंदरबाद, P.H. संख्या 30, तहसील : बड़नगर, जिला : उज्जैन, मध्य प्रदेश-456776, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व नाला, पश्चिम : मुख्य सड़क, उत्तर : कृष्णदास का मकान, दक्षिण : विजय सिंह का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	157302320	व्यावसायिक ऋण	17.04.2026	31,71,082.39 /-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम : 1. नितेश कालुराम 2. सुनीता चौहान

संपत्ति का पता : आवासीय मकान संख्या MIG-3-123 का संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 102.56 वर्ग मीटर है। यह दिशानिर्देशों के अनुसार वार्ड संख्या 39 (पुराना वार्ड संख्या 40), गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड, मंदसौर, तहसील एवं जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश-458001 में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं : पूर्व मकान संख्या MIG-IV-26, पश्चिम : 6 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तरः मकान संख्या MIG-III-124, दक्षिण : मकान संख्या MIG-III-122।

आपको इसके द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जो केपीटल फर्स्ट लिमिटेड लिमिटेड के साथ विलय होकर अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को, ऊपर दी गई तालिका में दिखाए गए विवरणों के अनुसार, संबंधित तारीखों से उस पर अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, शुल्कों आदि सहित, इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय होकर अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि की वसूली के लिए, SARFAESI Act की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत, ऊपर उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत, उक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री/पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी /- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक 03.05.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपीटल फर्स्ट लिमिटेड , जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय होकर अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.

HDFC BANK — We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एच.डी.एफ.सी. बैंक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग लोअल परेल(पश्चिम) मुंबई- 400013
शाखाः एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 10-A/1, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001, **CIN:** L65920MH1994PLC080618, **वेबसाईट :** www.hdfcbank.com

आधिपत्य सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी/यों (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना पत्र जारी कर निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशियों के भुगतान तथा/ या वसूली की दिनांक तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित कथित सूचनाओं की दिनांक से 60 दिन के अंदर सूचनाओं में अंकित लागू दरों पर ब्याज सहित अदा करने करने हेतु निर्देशित किया था।

क्रं.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	आधिपत्य दिनांक	अचल संपत्ति (यों)/ सुरक्षित आस्ति (यों) का विवरण
1	श्री धर्मेन्द्र चौहान श्रीमती दीप्ति	₹ 9,01,247/- as on 31.03.2019	13.05.2019	29.04.2026 (भौतिक आधिपत्य)	फ्लैट नं. 611, मंजिल 6वीं, ईडन गार्डन, ब्लॉक A, सर्वे नं. 414/1/2, ग्राम पिगडं बर, तहसील महू, ए.बी. रोड (कैप्स टाउन का भाग), इंदौर (म.प्र.) – 453331, फ्लैट का क्षेत्रफल 63.01 वर्ग मीटर (678 वर्ग फुट) **चर्तुःसीमाएंः** पूर्व : फ्लैट/यूनिट नं. 609-B, पश्चिमः यूनिट नं. 610-A, उत्तरः खुला आसमान, दक्षिणः कॉमन पैसेज
2	श्री मनोज कुमार शुक्ला एवं मधु शुक्ला	₹ 7,08,645/- as on 30.11.2021	21.12.2021	30.04.2026 (भौतिक आधिपत्य)	फ्लैट नं. 249, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक C, सम्यक रेसिडेंसी, कस्बा रतलाम, सर्वे नं. 272/1/1, 272/1/2 एवं 272/1/3, रतलाम, (म.प्र.) फ्लैट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 58.73 वर्ग मीटर (632 वर्ग फुट) **चर्तुःसीमाएंः** पूर्वः कॉमन एरिया , पश्चिमः फ्लैट नं. 254 उत्तरः कॉमन एरिया , दक्षिणः लॉबी

*भुगतान तथा/या वसूली की दिनांक तक के लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित। तथापि, उपरोक्त दर्शित ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधि देय राशि के भगतान करने में असफल रहे हैं, उपरोक्त ऋणीयों/ तथा उनके प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि सपठित नियम 8 सहित कथित अधिनियम की धारा 13(4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एच.डी.एफ.सी. के प्राधिकृत अधिकारीयों ने उपरोक्त दिनांक को यहाँ वर्णित अचल संपत्तियों/सुरक्षित आस्तियों का **आधिपत्य** ले लिया है।
ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सावधान किया जाता है कि उपरोक्त अंकित अचल संपत्तियों एवं सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार ने करें एवं सदर अचल सम्पत्तियॉ एवं सुरक्षित आस्तियॉ एच.डी.एफ.सी. के आधिपत्य में है।
ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
पंचनामा की प्रतियां और विस्तृत सूची अधोहस्ताक्षरी के साथ उपलब्ध हैं, और यह कि ऋणियों/वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों को सामान्य कार्यालय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरित से संबंधित प्रतिलिपि एकत्र करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 03.05.2026
वास्ते/- प्राधिकृत अधिकारी
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड

आज का इतिहास

1765- फिलाडेल्फिया में पहला अमेरिकी मेडिकल कॉलेज खुला.
1913- भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र पहली बार मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित की गई, जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखी.
1930- राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ सुमित्रा सिंह का जन्म.
1939- नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की.
1951 - राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अशोक गहलोत का जन्म.
1969 - भारत के तीसरे राष्ट्रपति डाक्टर जाकिर हुसैन का निधन.

यूको बैंक UCO BANK

(A Government of India Undertaking)

यूको बैंक, एएमबी शाखा मुम्बई, यूको बैंक बिल्डिंग, मध्य तल, 359, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुम्बई - 400001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
ई-नीलामी दिनांक 20.05.2026

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
ई-नीलामी की तिथि 20 मई 2026
संपत्ति का निरीक्षण 19 मई 2026 को या उससे पहले 11.00 बजे से 04.00 बजे के बीच पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकता है
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की नीलामी के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़े।

आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(ओं) और जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो **यूको बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा **यूको बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, उन्हें निम्नलिखित ऋणी(ओं) और जमानतदार(ओं) से **यूको बैंक (सुरक्षित लेनदार)** को देय राशि की वसूली के लिए **20 मई, 2026** को **जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर बेचा जाएगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं ऋणियों एवं जमानतदारों का नाम व पता	बकाया राशि (₹)	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा सूचना दिनांक एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संपर्क नम्बर
1.	**शाखा: एएमबी मुम्बई (2129)** **ऋणी: मेसर्स जूम डेवलोपर्स प्रा.लि. (ऋणी) कंपनी अधिनियम के तहत परिसमापन के तहत (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारिक परिसमापक के माध्यम से)** 703/704, सातवीं मंजिल, चेतक सेन्टर, 12/2, आरएनटी रोड, इन्दौर (म.प्र.1) 452001, **जमानतदार: 1. श्री विजय चौधरी,** 905/906, इंद्रदर्शन, मिल्लत नगर, लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई 400068, **2. श्री बी. एल. केजरीवाल,** 41/42, पारसरामपुरिया टॉवर, नं. 2, मिल्लत नगर, लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई 400068, **3. श्री मंझरी चौधरी,** 905/906, इंद्रदर्शन, मिल्लत नगर, लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई 400068, **4. मेसर्स ब्रिलियेन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., 5. रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., 6. मैग्निफिसिएन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., 7. मैग्निफिसिएन्ट होटल्स प्रा.लि., 8. सनस्टार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,9. मेसर्स मैग्निफिसिएन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.,** 703/704, सातवी मंजिल, चेतक सेन्टर, 12/2, आरएनटी रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452001	**308,47,27,334.05/-** (तीन सो आठ करोड़ सैतालिस लाख सत्ताईस हजार तीन सो चौतीस एवं पाँच पैसा मात्र) साथ ही अवैतनिक ब्याज, दंडात्मक ब्याज एवं शुल्क	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग रहवासी / व्यवसायिक प्लाट नं. 8 के भाग नं. 1 पर स्थित एक लम्बी पट्टी के रुप में प्लाट (प्लाट नं. 8/1/1, 8/1/2, 8/1/3 एवं 8/1/4), एम.जी. रोड, चेतक आर्क/सेफियर अपार्टमेंट के पास, इन्दौर 452001, **क्षेत्रफल: 557.62 वर्गमीटर (6000 वर्गफीट), मालिक: मेसर्स मैग्निफिसिएन्ट होटल प्रा.लि., चर्तु:सीमा: उत्तर:** एमजी रोड, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** प्लाट नं. 7ए एवं श्री रतनबाई टोंगिया का मकान, **पश्चिम:** प्लाट नं. 8/2 एवं संपत्ति के सभी प्रमुख अंग रहवासी / व्यवसायिक प्लाट नं. 8 के भाग नं. 4 एवं 5 पर स्थित एक लम्बी पट्टी के रुप में प्लाट (प्लाट नं. 8/4/1, 8/4/2, 8/4/3, 8/4/4), 8/5/1, 8/5/2, 8/5/3 एवं 8/5/4) एम.जी. रोड, चेतक आर्क/सेफियर अपार्टमेंट के पास, इन्दौर 452001, **क्षेत्रफल: 1115.24 वर्गमीटर (12000 वर्गफीट), मालिक: मेसर्स सनस्टार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (पूर्व में मेसर्स मैग्निफिसिएन्ट इनवेस्टमेंट्स प्रा.लि. के नाम से जाना जाता था), चर्तु:सीमा: उत्तर:** एमजी रोड, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** प्लाट नं. 8/3 का शेष भाग, **पश्चिम:** प्लाट नं. 8/6, 8/8, 8/9 एवं 8/10 का शेष भाग	30.05.2011 / 03.09.2024 (भौतिक)	Rs. 1887.00 लाख / Rs. 188.70 लाख	मिनोर वी भिवगडे मुख्य प्रबंधक मोबाईल: 8928909653 ई-मेल: mumamb@uco.bank.in

नीलामी बिक्री **20.05.2026** को **दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक** वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन ई-नीलामी बोली होगी, जिसमें **प्रत्येक दस मिनट का असीमित विस्तार होगा** और बोलीदाता **10,00,000/- (रुपये दस लाख)** के गुणकों में अपनी आगे की पेशकश में सुधार कर सकेंगे। नीलामी **SARFAESI** अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों और बैंक की वेबसाइट **www.ucobank.com** और **https://baanknet.com** पर दी गई शर्तों के अधीन है। इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी बिक्री की विस्तृत नियम और शर्तें देखने, ऑनलाइन बोली लगाने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, केवाईसी अपलोड करने, अन्य डेटा, बोली जमा करने, प्रशिक्षण/प्रदर्शन, वर्चुअल वॉलेट में बयाना राशि जमा करने के तौर-तरीकों को देखने की सलाह दी जाती है। नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं नियम वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध है। नीलामी की शर्तों एवं नियमों में संशोधन या सुधार **www.ucobank.com** एवं **https://baanknet.com** पर अपलोड करके सूचित किया जाएगा।

स्थान: मुम्बई, दिनांक: 02.05.2026
विज्ञापन में किसी भी प्रकार का भ्रम या त्रुटी होने की दशा में अंग्रेजी विज्ञापन को मान्य माना जावेगा।
मिनोर वि भिवगडे, मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक